APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत ....उपखण्ड अधिकारी........ मुकाम ....कोटा........

........सुरेश कुमार........ बनाम ....सरकार........

मुकदमा ....LR Act - 136........ नं. ....58........ सन् ....2025........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/7/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धांरा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी सुरेश कुमार की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक ....15/7/25.... को पेश हो।	
15/7/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी सुरेश कुमार की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम अरण्डखेड़ा, पटवार हल्का अरण्डखेड़ा, भू0अभिवनि0क्षेत्र अरण्डखेडा, तहसील लाड़पूरा, जिला कोटा में खाता संख्या नया 38 पुराना 39 के खसरा नम्बर 1793 की रकबा 2.36 हैक्टर किस्म नहरी दोयम स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि में संयुक्त खातेदारा कान्ही बाई पत्नी स्व0 कंवरलाल व राधेश्याम पुत्र स्व0 कवरलाल, जाति रेगर, निवासीगण ग्राम अरण्डखेड़ा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा निहित रहा है, जिनके द्वारा अपने हिस्सा 1/6, 1/6 का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के माध्यम से दिनांक 03.05.2024 को प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम–2 व 3 को संयुक्त रूप से करते हुये विक्रय–पत्र का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय प्रथम, कोटा के यहां पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1814, पृष्ठ संख्या 49, क्रम संख्या 202403123107447 पर करवाया गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम–2 व 3 द्वारा नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेत् आवेदन तहसीलदार लाड़पूरा के यहां प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा अवैध व गैर कानूनी तरीके से हिस्सा 1/6, 1/6 का नामान्तकरण केवल मात्र अप्राथी क्रम–2 व 3 के नाम नामान्तकरण संख्या 2206 दिनाक 17.07.2024 को तस्दीक कर दिया गया। उक्त नामान्तकरण त्रुटि पूर्ण रीके से दर्जे कर राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम छोडते हये केवल अप्रार्थी क्रम--2 व 3 का नाम हिस्सा 1/6, 1/6 दर्ज कर दिया जबकि विक्रय – पत्र दिनीक 03.05.2024 से प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम–2 व 3 द्वारा संयुक्त रूप से भूमि कान्ही बाई व राधेश्याम से हिस्सा 1/6, 1/6 अर्थात् सम्पूर्ण भूमि का 1/3 हिस्सा खरीद किया गया था, जिसके आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम–2 व 3 के नाम विक्रय–पत्र दिनाक 03.05.2024 के आधार पर नामान्तकरण हिस्सा 1/9, 1/9, 1/9 के रूप में स्वीकृत किया जाकर राजस्व जमाबंदी में हिस्सा 1/9, 1/9, 1/9 दर्ज किया जाना चाहिये था, परंतु नामान्तकरण संख्या 2206 दिनाक 14.07.2024 स्वीकृत करते समय प्रार्थी के नाम हिस्सा 1/9 का नामान्तकरण दर्ज नहीं कर केवल अप्रार्थी क्रम–2 व 3 के नाम हिस्सा 1/6, 1/6 के रूप में दर्ज कर दिया गया जो विक्रय– पत्र दिनांक 03.05.2024 के विपरीत है और उक्त नामान्तकरण सहवन से त्रूटि पूर्ण तरीके से स्वीकृत कर दिया है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने दिनांक 13.06.2025 को अप्रार्थी क्रम–1 के यहां प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड व नामान्तकरण में शुद्धि कर रिकॉर्ड को दुरूस्त करने का अनुरोध किया और निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम विक्रय –पत्र के आधार पर जरिये नामान्तकरण हिस्सा 1/9 के रूप में दर्ज नहीं हुआ है, केवल अप्रार्थी क्रम–2 व 3 के नाम ही हिस्सा	

.2...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

1/6, 1/6 त्रुटि पूर्ण रूप से दर्ज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में नामान्तकरण संख्या 2206 दिनांक 17.07.2024 को शुद्ध किया जाकर विक्रय–पत्र दिनांक 03.05.2024 के अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया जावे और प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम–2 व 3 के नाम हिस्सा 1/9, 1/9, 1/9 दर्ज किया जावे। उक्त आवेदन को अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा. पटवारी हल्का अरण्डखेड़ा को भेजकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिस पर हल्का पटवारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर जाहिर किया कि खातेदारा कान्हीं बाई व राधेश्याम द्वारा अपना हिस्सा 1/6, 1/6 सम्पूर्ण भूमि का हिस्सा 1/3 दिनांक 03.05.2024 को सुरेश कुमार, दिनेश कुमार व राकेश कुमार को संयुक्त रूप से बेचान किया गया था, परंतु ग्राम अरण्डखेड़ा में नामान्तकरण संख्या 2206 बेचाननामा से क्रेता सुरेश कुमार का नाम दर्ज होने से छूट गया है। अतः खाते में दिनेश कुमार, राकेश कुमार हिस्सा 1/6 प्रत्येक के स्थान पर हिस्सा 1/9, 1/9, 1/9 दिनेश कुमार, राकेश कुमार, सुरेश कुमार पिसरान राय सिंह, निवासीगण पारलिया की ढाणी, जिला कोटा राजस्थान शुद्ध करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना– पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या नया 38 पुराना 39 के खसरा नम्बर 1793 की रकबा 2.36 हैक्टर किस्म नहरी दोयम वाके ग्राम अरण्डखेड़ा, पटवार हल्का अरण्डखेड़ा, भू0अभि0नि0क्षेत्र अरण्डखेड़ा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करते हुये नामान्तकरण संख्या 2206 को विक्रय–पत्र दिनांक 03.05.2024 के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम–2 व 3 प्रत्येक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 1/9, 1/ 9, 1/ 9 दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी क्रम–1 तहसीलदार लाड़पुरा, जिला कोटा को प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो समीचीन हो वह प्रार्थी के पक्ष में प्रदान की जावे।

बाद बहस पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम अरण्डखेड़ा में स्थित विवादाग्रस्त आराजी के खातेदार कान्ही बाई पत्नि स्व0 कंवरलाल हि0 1/6 एवं राधेश्याम पुत्र स्व0 कंवरलाल हि0 1/6 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा श्री दिनेश कुमार, राकेश कुमार एवं सुरेश कुमार को बेचान किया जा चुका है। परन्तु उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में मात्र दिनेश कुमार एवं राकेश कुमार का नाम ही दर्ज हुआ। संलग्न विक्रय पत्र से स्पष्ट होता है कि उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी नं0 2 व 3 के साथ प्रार्थी का नाम भी दर्ज किया जाना था परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से रह गया है। जिस कारण से प्रार्थी सुरेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम अरण्डखेड़ा, पटवार हल्का अरण्डखेड़ा, भू0अभि0नि0क्षेत्र अरण्डखेड़ा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित भूमि खाता संख्या नया 38 पुराना 39 के खसरा नम्बर 1793 की रकबा 2.36 हैक्टर किस्म नहरी दोयम के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करते हुये विक्रय–पत्र दिनांक 03.05.2024 के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम–2 व 3 प्रत्येक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 1/9, 1/ 9, 1/ 9 दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें।

उक्त निर्णय आज दिनांक .....15/7/25..... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा